

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/397

प्रकरण संख्या 82/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री नाथूलाल पिता स्व. श्री चुन्नीलाल जाति भील आयु वयस्क
2. श्रीमती मांगीबाई पिता स्व.श्री चुन्नीलाल जाति भील जाति आयु वयस्क
3. श्रीमती गीताबाई पिता स्व.श्री चुन्नीलाल जाति भील जाति आयु वयस्क
4. श्रीमती सुन्दरबाई पिता स्व.श्री चुन्नीलाल जाति भील जाति आयु वयस्क
5. श्रीमती प्रतापीबाई पत्नी स्व.श्री चुन्नीलाल जाति भील जाति आयु वयस्क निवासी भीलों की कुई, वाना, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

.....प्राथीगण

बनाम

1. श्री दीपलाल पिता स्व.श्री भजा जाति भील आयु वयस्क
2. श्री हीरालाल पिता स्व.श्री भजा जाति भील आयु वयस्क
3. श्री राधेश्याम पिता स्व.श्री भजा जाति भील आयु वयस्क
4. श्री सोहनलाल पिता स्व.श्री मांगीलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी भीलों की कुई, वाना, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

.....अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री कैलाश चन्द्र खारीवाल

निर्णय

दिनांक : 20.06.2022

1. प्रार्थी श्री नाथूलाल पिता स्व. श्री चुन्नीलाल निवासी भीलों की कुई, वाना, तहसील भीण्डर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीलों की कुई, पटवार हल्का वाना भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भीण्डर, तहसील भीण्डर के खाता संख्या 17 नया 413 पुराना की आराजी संख्या 7-8/1-8/2-9-12-13-19/1-19/2-21-22/2 कुल किता 10 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर कास्त कर रहा है जिसकी चारो ओर की प्रार्थी को कोई पक्की सीमा जानकारी नहीं है।
2. प्रार्थी उक्त आराजीयात की पक्की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसके लिए प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कहा परन्तु विपक्षीगण ने ध्यान नहीं दिया जिससे मजबुर होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करना पड़ा। उपरोक्त प्रार्थना पत्र वाद का निर्णय 20.03.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को सीमा जानकारी कराने हेतु कहाँ जिससे निरन्तर जारी है।



उपखण्ड अधिकारी भीण्डर  
जिला-उदयपुर (राज.)

3. अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा भीलों की कुई, पटवार हल्का वाना भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भीण्डर, तहसील भीण्डर के खाता संख्या 17 नया 413 पुराना की आराजी संख्या 7-8/1-8/2-9-12-13-19/1-19/2-21-22/2 कुल किता 10 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी जरिये तहसीलदार भीण्डर से करवाने का आदेश प्रदान कराया जावे जिससे मौके पर आये दिन सीमा विवाद का लड़ाई झगड़ा न हो व शान्ति बनी रहे।
4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा भीलों की कुई, पटवार हल्का वाना भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भीण्डर, तहसील भीण्डर के खाता संख्या 17 नया 413 पुराना की आराजी संख्या 7-8/1-8/2-9-12-13-19/1-19/2-21-22/2 कुल किता 10 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।
5. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा भीलों की कुई, पटवार हल्का वाना भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भीण्डर, तहसील भीण्डर के खाता संख्या 17 नया 413 पुराना की आराजी संख्या 7-8/1-8/2-9-12-13-19/1-19/2-21-22/2 कुल किता 10 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जिसकी वर्तमान भू प्रबन्धन के बाद नए खाता नम्बर के नए आराजी नम्बर की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं सभी पक्षकारों तथा विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।
6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(रमेश सीरवा पुनाड़िया RAS)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)  
 उपखण्ड अधिकारी भीण्डर  
 जिला-उदयपुर (राज.)